393

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं /2017 पुनरीक्षण II/निगरानी/अनूपपुर/भू०रा०/2017/1673

1. अश्वनी कुमार पुत्र नित्यानंद पटेल
2. बालकुमार पुत्र नित्यानंद पटेल

निवासीगण ग्राम मेडियारास तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1. रामरक्षा पुत्र रामपदारथ पटेल

निवासी ग्राम मेडियारास तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

2. म.प्र. शासन

..... अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार तहसील अनूपपुर जिला अनूपपुर द्वारा राजस्व प्र.कं. 203/अ–03/15–16 में पारित आदेश दिनांक 25.7.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि –

संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, अनावेदक रामरक्षा ने ग्राम मेड़ियारास राजस्व निरीक्षक मण्डल अनूपपुर तहसील अनूपपुर में स्थित आराजी ख.नं. 820/2 रकवा 0.479 है0 भूमि का नक्शा तरमीम कराने बावत तहसीलदार अनूपपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। जिस पर से प्र.क्र0. 203/अ–03/15–16 दर्ज कर राजस्व निरीक्षक से मौके का जांच प्रतिवेदन मंगाया गया राजस्व निरीक्षकने दिनांक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक –दो/निग./अनूपपुर/भू.रा./2017/1673

अश्वनी कुमार विरूद्ध रामरक्षा एवं शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। 3. यह निगरानी तहसीलदार अनूपपुर, जिला-अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 203/अ-3/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 25-07-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 07-06-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उनहें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका	

का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 28/01/19
सदस्य